

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
(पीठासीन अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प हिण्डौन

मुकदमा न०
444 / 2020

किस्म मुकदमा
धारा 136 एल आर एक्ट

तारीख रजु
13.01.2020

तारीख फैसला
12.11.2022

उनवान रूकमणी बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार हिण्डौन की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में करबा मण्डल तहसील हिण्डौन जिला करौली की जमाबंदी सम्वत् 2071- 2074 में खाता संख्या 416 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हिण्डौन	416 खसरा न०:- 3794	ओमी पुत्र मोतीलाल	ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल नोट:- ओमी पुत्र मोतीलाल जाति धोबी के स्थान पर 'ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल धोबी के हिस्से तक दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

क्रमांक/कोर्ट/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार हिण्डौन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी रूकमण बेबा ओमप्रकाश, भारती पुत्री ओमप्रकाश, सुनील, अनील पुत्र ओमप्रकाश जाति धोबी निवासी खेडिया रोड हिण्डौन सिटी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन